उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 3 | अंक 8 | 16-30 सितंबर 2019 | ₹ 20/-

कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब द्वारा भारत को समर्थन

- उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान
- पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना स्थाई प्रतिनिधि बदला
- इजरायल को मिटाने की धमकी
- उर्दू को विदेशी भाषा घोषित करने पर विवाद

भारत नीति प्रतिष्ठान के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

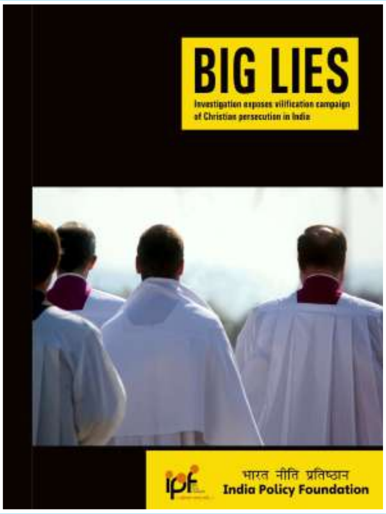

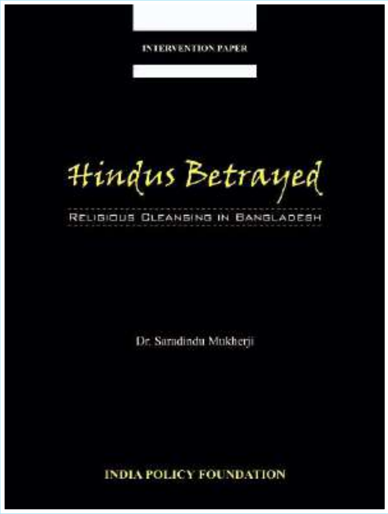

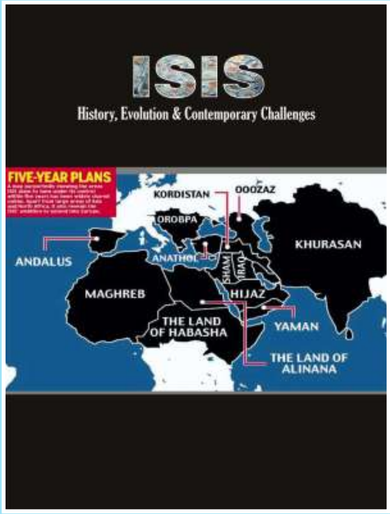

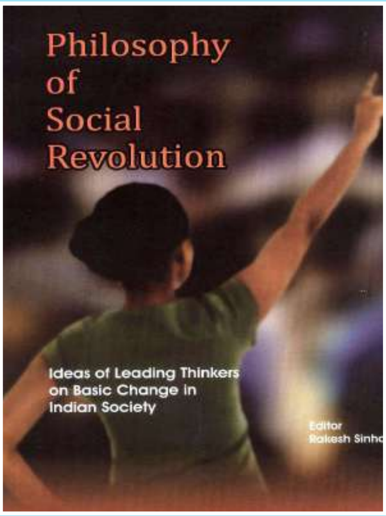

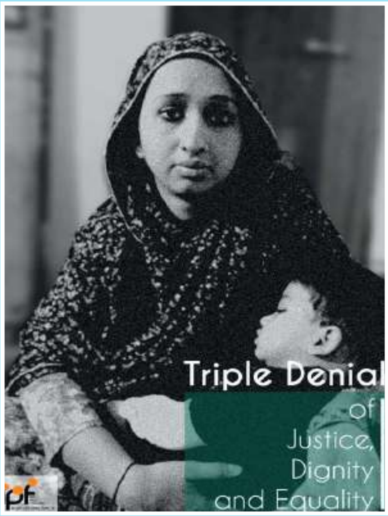

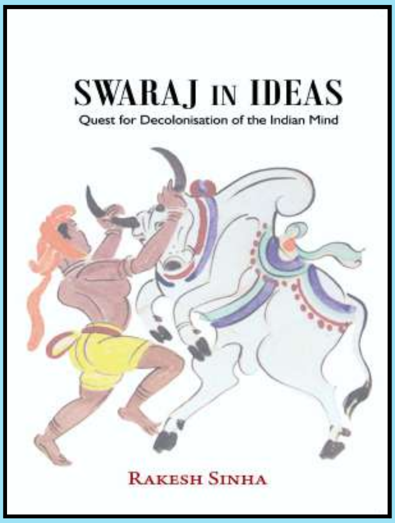

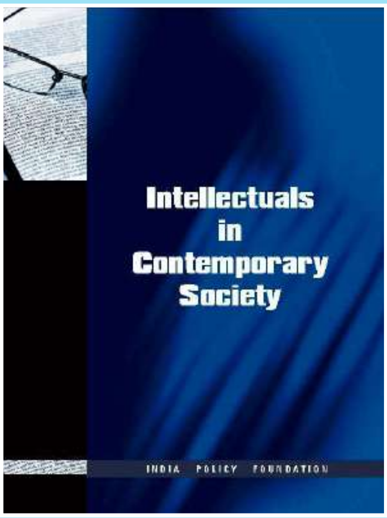

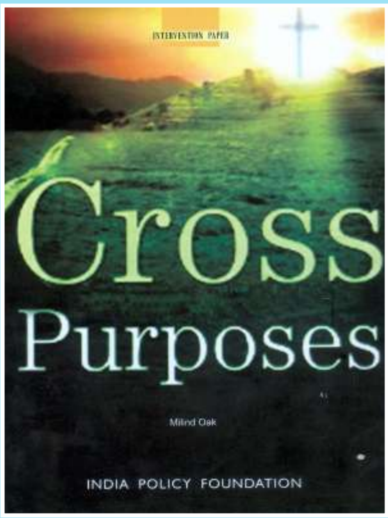

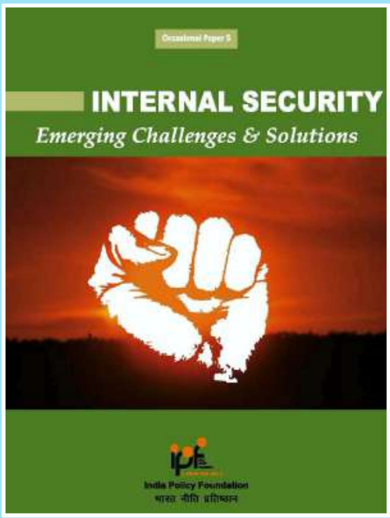

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष - 3 अंक - 8 16-30 सितंबर 2019

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

आवरण एवं सज्जा
सूरज भारद्वाज

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास,
नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.indiapolicyfoundation.org

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए, डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाषित तथा साई प्रिटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश	2
राष्ट्रीय	
कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब द्वारा भारत को समर्थन	3
उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान	4
निजाम की दौलत के मुकदमें में पाकिस्तान को झटका	5
दरगाह शाह मर्दान की नवगठित प्रबंध समिति विवादों में	7
उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड का विवाद	8
तीन तलाक कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती	9
कश्मीर और एनआरसी पर मुस्लिम संगठनों के रूख की आलोचना	10
विश्व	
पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना स्थाई प्रतिनिधि बदला	11
अमेरिका द्वारा ईरान के अधिकारियों पर प्रतिबंध	12
अमेरिकी सैनिक अड्डे का स्थानांतरण	13
फ्रांसीसी स्कूलों में अरबी	13
पाकिस्तान से रिश्वत लेने पर पूर्व फ्रेंच प्रधानमंत्री पर मुकदमा	14
तुर्की द्वारा पाकिस्तान को युद्धपोत	15
पश्चिम एशिया	
सऊदी अरब के दरवाजे पर्यटकों के लिए खुले	16
इजरायल को मिटाने की धमकी	16
केरल की ईसाई लड़की के इस्लाम धर्म स्वीकारने पर विवाद	17
जमाल खशोग्गी की हत्या में नया मोड़	18
ईरान का अलकायदा से सम्बन्ध	18
ईरान द्वारा चीन को तेल की सप्लाई	19
सऊदी अरब हथियारों का सबसे बड़ा खरीददार	29
हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी सैनिकों की गिरफ्तारी का दावा	20
अन्य	
इस्लामी टीवी चैनल	21
भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने पर टीवी चैनल बंद	21
इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत	22
उर्दू के प्रचार के लिए दोगुना हुआ बजट	22
उर्दू को विदेशी भाषा घोषित करने पर विवाद	23
दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा पचास लाख रुपये का वितरण	24

सारांश

इस्लामी विश्व के प्रमुख देश सऊदी अरब ने भारत सरकार द्वारा कश्मीर में उठाए गए कदमों का डटकर समर्थन किया है। इस सफलता का श्रेय निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को जाता है। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर मुस्लिम देशों का समर्थन प्राप्त करने का जो प्रयास कर रहा था उसे सऊदी अरब की घोषणा से गहरा झटका लगा है। यह प्रसन्नता की बात है कि देश के दो प्रमुख मुस्लिम संगठनों जमीयत उलेमा हिन्द और जमीयत अहले हदीस ने भी कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का खुलकर समर्थन किया है। जमीयत उलेमा के महामंत्री महमूद मदनी ने अहले हदीस के अन्य नेताओं के साथ भारत के पक्ष में प्रचार करने के लिए यूरोप के कई देशों का दौरा किया है और वहां के मीडिया के सामने भारत की स्थिति को स्पष्ट रूप से रखा है। बड़ी अजीब बात है कि उनके इन प्रयासों का भारतीय मुसलमानों के कुछ अन्य संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाले घुसपैठियों के खिलाफ जबर्दस्त अभियान छेड़ने की घोषणा की है। राज्य पुलिस के महानिदेशक ने पत्रकारों को बताया कि यह अभियान केन्द्र सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य में रहनेवाले प्रत्येक घुसपैठिए के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी और यदि उन्होंने राशन कार्ड या आधार बनवाया होगा तो उसके संदर्भ में भी बारिकी से जांच की जाएगी। गुप्तचर विभाग इस बात की भी जांच करेगा कि इन प्रमाण-पत्रों को बनवाने में किस-किस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी ने उनको सहयोग दिया है। ऐसे तत्वों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई किए जाने का पुलिस महानिदेशक ने संकेत दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जबर्दस्त खतरा बने हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की देश में संख्या कितनी है इसके बारे में हालांकि कोई पुष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं मगर इनकी संख्या ढाई से तीन करोड़ बताई जाती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनेक घुसपैठियों के तार आतंकवादी जिहादी संगठनों से जुड़े हुए हैं।

1948 में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने पाकिस्तान भिजवाने के लिए दस लाख पाउंड ब्रिटेन के एक बैंक में जमा करवाए थे। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद भारत सरकार ने इस धनराशि का हस्तांतरण रूकवा दिया था। गत सत्तर वर्षो से यह मुद्दा ब्रिटेन के न्यायालयों में चल रहा था। अब वहां की उच्च न्यायालय ने इस धनराशि पर पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है। इसे भारत की एक महत्वपूर्ण सफलता की संज्ञा दी जा सकती है। अब यह धनराशि बढ़कर तीन सौ करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। इस धनराशि पर निजाम के उत्तराधिकारी और उनके वंशजों ने भी अपना दावा ठोक दिया है। देखना यह है कि यह धनराशि किसे प्राप्त होती है?

इराक में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण जनाक्रोश की ज्वाला भड़क उठी है। जनता और सुरक्षा एजेंसियों के बीच झड़पों का सिलसिला जारी है। इन झड़पों में अभी तक 75 से अधिक लोगों के मरने की सूचना है। इराक के सभी महत्वपूर्ण नगरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्थिति दिन-प्रतिदिन गम्भीर रूप ले रही है।

सऊदी अरब ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इतिहास में पहली बार अपने दरवाजे गैर-मुस्लिम पर्यटकों के लिए खोल दिए हैं। अभी तक सऊदी अरब में सिर्फ मुसलमानों को ही हज और उमरा के अवसर पर प्रवेश करने की अनुमति है। सूत्रों के अनुसार पर्यटन उद्योग को विकसित करने पर एक करोड़ रियाल से भी अधिक धनराशि का निवेश किया जाएगा।

कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब द्वारा भारत को समर्थन

इंकलाब (3 अक्टूबर) के अनुसार "जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन के मुद्दे पर सऊदी अरब ने भारत का समर्थन किया है। पाकिस्तान के लिए यह जबरदस्त झटका है। दुनिया भर में सबसे बड़े इस्लामी ताकत माने जाने वाले सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त करना भारत की शानदार राजनयिक सफलता है। सूत्रों के अनुसार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। डोवाल के अनुसार सऊदी युवराज ने कहा कि हम भारत द्वारा कश्मीर में उठाए गए कदम को उचित मानते हैं।"

"ज्ञातव्य है कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था। अब सऊदी अरब का दोबारा भारत को समर्थन देने से पाकिस्तान को गहरा झटका लगा है। डोवाल पिछले पांच वर्षों से सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस दौरान सऊदी अरब के साथ रक्षा और गुप्तचर सूत्रों के आदान-प्रदान के मामले में भारत का सहयोग बढ़ा है। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता को कम करने की योजना बनाई है और भारत इसमें उसका अहम भागीदार है। अजीत डोवाल ने युवराज से मुलाकात करने के बाद सऊदी अरब के सुरक्षा सलाहकार से भी बातचीत की। डोवाल इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इन दोनों देशों के साथ भारत के बहुत ही अच्छे सम्बन्ध हैं। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी अरब और तुर्की के साथ अपने संबंध सुधारने का प्रयास कर रहा है। उसका यह प्रयास था कि सऊदी अरब और तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर उसका समर्थन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देते हुए इमरान खान ने परमाणु युद्ध की भी धमकी दी थी।"

सियासत (26 सितम्बर) के अनुसार "सऊदी अरब के भारत में राजदूत डॉ. सऊद बिन मोहम्मद अल-साती ने कहा है कि आतंकवाद के उन्मूलन के लिए भारत और सऊदी अरब एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं और इस क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सऊदी अरब पूरा सहयोग दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में गुप्तचर सूत्रों से मिलने वाली जानकारी का भी आदान-प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते हुए हैं जिसके अनुसार आतंकवाद में लिप्त आरोपियों को एक दूसरे के हवाले करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आईएसआईएस का मुकाबला करने के लिए 68 देशों का जो गठबंधन हुआ है उसमें सऊदी अरब शामिल है। हम आतंकवाद के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील हैं। भारत सऊदी अरब का बहुत करीबी दोस्त है और उसके साथ हम सुरक्षा से संबंधित मामलों में और अधिक सहयोग करने के लिए इच्छुक हैं। हमारी सरकार का यह मानना है कि आतंकवादी संगठनों को आर्थिक सहायता न मिले।"

उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान

इंकलाब (2 अक्टूबर) के अनुसार "उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है। इस संदर्भ में सभी जिलों के पुलिस कप्तानों और अन्य उच्चाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी पहचान करें। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि यह अभियान केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शुरू किया गया है। उन्होंने यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले के पुलिस प्रमुख अपने जिलों की सीमाओं, सभी रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, फूटपाथों और उसके आस-पास बसाई गई नई बस्तियों का सर्वेक्षण करके वहां पर रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाएं और इस अभियान की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। अगर जांच के दौरान वहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को कोई दूसरे नगर या दूसरे राज्य का बताए तो उसके संबंध में पूरी जांच करवाई जाए और इस बात की भी जांच करवाई जाए की इन बांग्लादेशियों ने यहां रहने के दौरान राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, अस्त्र-शस्त्रों के लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार कार्ड तो नहीं बनाए हैं। अगर किसी विदेशी या बांग्लादेशी के पास इस तरह के दस्तावेज हों तो इस बात की भी जांच करवाई जाए कि उन्होंने यह दस्तावेज किस तरह से प्राप्त की हैं।"

"इसके अतिरिक्त उन कर्मचारियों और अधिकारियों की भी पहचान करके उन पर कार्यवाई की जाए जिन्होंने यह दस्तावेज बनवाने में उनकी मदद की थी। बांग्लादेशियों के फिंगर प्रिंट लेकर इनको राज्य के फिंगर प्रिंट ब्यूरो में भिजवाया जाए। यहां उनके बारे में जिलावार डाटाबेस तैयार किया जाए। पुलिस महानिदेशक ने कंस्ट्रक्शन कंपनियों और विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तथा कारखानों के मालिकों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने यहां काम करने वाले सभी मजदूरों का आईडी कार्ड अपने पास रखें और उसको सत्यापित भी करवाएं एवं इस संबंध में संबंधित जिले के जिलाधिकारी को जानकारी भी दें। केन्द्रीय गृहमंत्रालय को भी इसकी सूचना दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान जो बांग्लादेशी घुसपैठिए मिलते हैं उनके बारे में आईजी, सीमा सुरक्षा बल, कोलकाता से संपर्क करके उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में पूछताछ की जा सकती है और यदि कोई परेशानी हो तो आईजी, गुप्तचर विभाग से भी सम्पर्क साधा जा सकता है। पुलिस प्रमुख ने कहा है कि कई लोग अपराध करने के बाद एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाए। उन्होंने इस अभियान के दौरान अधिकारियों में तालमेल रखने पर भी जोर दिया है।"

निजाम की दौलत के मुकदमें में पाकिस्तान को झटका

अखबार-ए-मशरिक (3 अक्टूबर) के अनुसार "हैदराबाद डेक्कन के सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान की ब्रिटेन की एक बैंक में जमा साढ़े तीन करोड़ पाउंड की दौलत के विवाद में पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि निजाम हैदराबाद की ओर से जमा करवाई गई यह रकम भारत और निजाम के उत्तराधिकारियों की है। यह धनराशि लंदन के वेस्टमिंस्टर बैंक में पड़ी हुई है और पाकिस्तान इस पर कई दशक से अपना दावा करता आ रहा है। इस विवाद के पक्षधरों में भारत और पाकिस्तान के अतिरिक्त सातवें निजाम के उत्तराधिकारी भी शामिल हैं। सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने 1948 में लंदन के एक बैंक में एक मिलियन पाउंड की धनराशि जमा करवाई थी जो अब बढ़कर 35 मिलियन पाउंड हो गई है। न्यायालय ने पाकिस्तान के इस दावे को रद्द कर दिया है जिसमें उसने

यह दावा किया था कि निजाम ने यह धनराशि विमानों की खरीद के लिए या तोहफे के तौर पर पाकिस्तान को दी थी। यह विवाद 1950 से चल रहा है जिसमें ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निजाम की ओर से पेश किए गए दावे को रद्द कर दिया था। 2013 में पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि यह धनराशि उसकी संपत्ति है मगर न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया।"

टिप्पणी: यह मामला लगभग 304 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। यह विवाद पिछले 70 वर्ष से न्यायालयों में चल रहा था। हैदराबाद के सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने 1948 में लंदन के नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक में दस लाख पाउंड जमा करवाए थे और यह निर्देश दिया था कि यह धनराशि ब्रिटेन स्थित पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहमतुल्ला के अकाउंट में ट्रांसफर की जाए। कहा जाता है कि निजाम पाकिस्तान को यह धनराशि भिजवाना चाहते थे। लेकिन उस समय के नियम और कायदे ऐसे थे कि वे सीधे तौर पर भारत से पाकिस्तान को धन नहीं भेज सकते थे इसलिए उन्होंने अपने खजाने से दस लाख पाउंड लंदन के एक बैंक में जमा करवाए और यह निर्देश दिया कि यह धनराशि पाकिस्तान के उच्चायुक्त के खाते में ट्रांसफर की जाए। इसी दौरान रियासत हैदराबाद का भारत में विलय हो गया और भारत सरकार ने इस धनराशि को पाकिस्तान के उच्चायुक्त के अकाउंट में ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी। बाद में निजाम के वंशजों ने भी इस धनराशि पर अपना दावा ठोक दिया। निजाम के वंशज के आठवें निजाम प्रिंस मुकर्रम जाह और उनके छोटे भाई मुखफ्फम जाह इस मुकदमें में भारत सरकार के साथ थे।

1954 में निजाम और पाकिस्तान के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हुई। निजाम ने पैसों की वापसी के लिए लंदन उच्च न्यायालय का रूख किया। उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया जिसके खिलाफ निजाम ने ऊपरी न्यायालय में अपील की। ऊपरी न्यायालय में निजाम की जीत हुई। लेकिन इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान ने ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायालय हाउस ऑफ लॉर्ड्स का दरवाजा खटखटाया। पाकिस्तान की दलील थी कि निजाम पाकिस्तान पर किसी तरह का केस नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान

1954 में निजाम और पाकिस्तान के बीच कानूनी लड़ाई शुरु हुई। निजाम ने पैसों की वापसी के लिए लंदन उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया जिसके खिलाफ निजाम ने ऊपरी न्यायालय में अपील की। ऊपरी न्यायालय में निजाम की जीत हुई।

एक सम्प्रभु राष्ट्र है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पाकिस्तान के पक्ष में अपना फैसला दिया। लेकिन इसके साथ ही उसने इस धनराशि को फ्रीज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ भारत और निजाम के वारिसों ने ब्रिटिश कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ताजा जानकारी के अनुसार निजाम के पोते नजफ अली खान ने यह दावा किया है कि तीन अरब से ज्यादा इस धनराशि पर निजाम के 120 वंशजों की हिस्सेदारी है।

ज्ञातव्य है कि सातवें निजाम के कई दर्जन पत्नियां थीं और उसके उत्तराधिकारियों की संख्या 120 से भी अधिक बताई जाती है। निजाम के पोते नवाब नजफ अली खान निजाम फैमिली वेल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि इस धनराशि का बंटवारा हम आपस में बातचीत करके करेंगे। उन्होंने कहा कि यह धनराशि निजाम के दोनों मुख्य पोते नहीं ले सकते और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम न्यायालय में जाएंगे। भारत सरकार ने अभी इस मामले में अपनी स्थिति साफ नहीं की है। मगर यह जरूर है कि इस रकम के मुकदमें में निजाम के बड़े बेटे के दोनों वारिस ही पक्षधर थे। इनमें से बड़े बेटे मुकर्रम जाह बहादुर को भारत सरकार आठवें निजाम के रूप में मान्यता दे चुकी है। 80 वर्षीय आठवें निजाम आयकर की अदायगी के अनेक केसों में फंसे हुए हैं। वह अपना अधिकांश समय हैदराबाद में नहीं बल्कि आस्ट्रेलिया में बिताते हैं।

दरगाह शाह मर्दान की नवगठित प्रबंध समिति विवादों में

इंकलाब (28 सितम्बर) के अनुसार "दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जोरबाग स्थित दरगाह शाह मर्दान की जो नई प्रबंध समिति का गठन किया है उस पर विवाद उत्पन्न हो गया है। रोचक बात यह है कि इस दरगाह की जो नई प्रबंध समिति का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष सैयद असजा रजा जैदी ने हैरानी व्यक्त की है और कहा है कि मैंने कभी भी इस दरगाह का प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद को ग्रहण करने में रुचि नहीं ली और न ही मुझे इस बात की कोई विधिवत सूचना ही दी गई है कि मुझे नई प्रबंधक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैदी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और इस समय वे नोएडा सेक्टर 50 की शिया जामा मस्जिद की प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। ज्ञातव्य है कि दरगाह शाह मर्दान की खरबों रुपयों की जमीन पुरानी प्रबंधक समिति अंजुमन हैदरी और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच विवाद का मुद्दा बनी हुई है। जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ समीम अख्तर से नई प्रबंध समिति के गठन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है और इसके बारे में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ही जानते हैं।"

"अंजुमन हैदरी के सचिव सैयद बहादुर अब्बास नकवी ने कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड कर्बला की जमीन पर कब्जा करने वाले वसीम खान को लाभ पहुंचाना चाहता है इसलिए उसने मनमाने तरीके से एक कठपुतली कमेटी बना दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्बला की जो जमीन खाली करवाई गई है उस पर काबिज वसीम खान को अंजुमन हैदरी को 1300 करोड़ रुपये देना है जो वे देने के लिए तैयार नहीं हैं। इस मुद्दे पर न्यायालय ने भी नोटिस लिया था। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड इस जमीन को हड़पना चाहता है। हम इमाम हुसैन वक्फ को किसी भी सूरत में किसी को हड़पने नहीं देंगे और कौम की अमानत के लिए अपनी जान तक लड़ा देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में पुलिस में रपट दर्ज करा रहे हैं।"

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड का विवाद

अखबार-ए-मशरिक (27 सितम्बर) के अनुसार "उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने इस वर्ष अवार्ड देने की जो घोषणा की है उस पर नया विवाद उत्पन्न हो गया है। लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि अकादमी के अध्यक्ष और उसके कई सदस्यों ने स्वयं ही अवार्ड ले लिए हैं। इसलिए इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करना जरूरी है। ज्ञातव्य है कि उर्दू अकादमी की अध्यक्ष प्रो. आसिफा जमानी ने स्वयं ही एक लाख रुपये का अवार्ड ले लिया है। जबकि अकादमी के एक अन्य सदस्य प्रो. अब्बास रजा नैयर ने अमीर खुसरो अवार्ड से मिलने वाली डेढ़ लाख रुपये की रकम अपने नाम करवा ली है। एक अन्य सदस्य प्रो. अफताब अहमद आफाकी ने भी स्वयं ही डेढ़ लाख का अवार्ड अपने नाम करवा लिया है।"

"ज्ञातव्य है कि उर्दू अकादमी की बैठक में नदीम अख्तर आदि अनेक सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की थी कि अकादमी के पदाधिकारियों ने सारे अवार्डों की बंदर-बांट कर ली है। नदीम अख्तर ने कहा कि उन्होंने इसका विरोध किया था मगर उनकी नहीं सुनी गई और अध्यक्ष ने मनमाने तरीके से अवार्ड प्राप्त करने वाले लोगों के नामों की घोषणा कर दी। उन्होंने मांग की कि अवार्ड देने का पुराना निर्णय रद्द किया जाए और नए सिरे से बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाए।"

इंकलाब (28 सितम्बर) के अनुसार "अवार्ड पर हुए विवाद के कारण उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री प्रो. आसिफा जमानी और अवार्ड उपकमेटी के दो अन्य सदस्यों प्रो. अब्बास रजा नैयर एवं अफताब अहमद आफाकी ने भी अवार्ड न लेने का फैसला किया है। अकादमी के सचिव एस. रिजवान ने यह स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश के भाषा विभाग ने उनसे अवार्डों के विवाद के बारे में जवाब तलब किया है। उन्होंने कहा कि इस नोटिस का जवाब दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की 25 सितम्बर को हुई कार्य समिति की बैठक में 2018 के अवार्डों का ऐलान किया गया था और जिनलोगों को अवार्ड देने का ऐलान किया गया था उनमें कार्यकारिणी के ही तीन सदस्य शामिल थे। मीडिया में अवार्ड देने पर हो रहे विवाद का उल्लेख करते हुए अकादमी की अध्यक्ष प्रो. आसिफा जमानी ने यह सफाई दी है कि जिनलोगों को अवार्ड दिया गया है वे सभी काफी दिनों से उर्दू की सेवा कर रहे हैं इसलिए वे अवार्ड के हकदार हैं। मगर जिस तरह से लोगों ने हमारे फैसले पर आपत्ति की है उससे हमें बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि भाषा विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने के कारण अब अवार्ड देने के मुद्दे पर दोबारा विचार किया जाएगा।"

अखबार-ए-मशरिक (27 सितम्बर) के अनुसार "उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने कर्नाटक के साहित्यकार डॉ. माजिद को अवार्ड देने की घोषणा की है। अब तक उनकी साठ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के रहने वाले अनीस सिद्दीकी और तेलंगाना की रहने वाली रूखसाना सुल्ताना को भी अवार्ड देने की घोषणा की गई है।"

तीन तलाक कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती

अखबार-ए-मशरिक (1 अक्टूबर) के अनुसार "भारत सरकार ने तीन तलाक को अवैध घोषित करने और उसका उल्लंघन करने वाले को तीन वर्ष की सजा देने का जो कानून बनाया है उसे नवाब मोहम्मद काजिम अली खान ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायालय ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस पर सुनवाई शुरू होने की सम्भावना है। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के वकील मोहम्मद राशिद हनीफ द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि यह कानून भारतीय संविधान के खिलाफ है और जिस जल्दबाजी में इस कानून को पारित किया गया है वह भी तर्कसंगत नहीं है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से यह मांग की गई है कि वह फौरन इस कानून को अवैध घोषित करे। उन्होंने सवाल उठाया है कि इस कानून के तहत जिस आरोपी को तीन वर्ष की सजा होगी वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा की रकम कैसे अदा करेगा? क्योंकि शरियत के अनुसार यदि तलाक हो जाए तो उसे गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि इस कानून से भारतीय दंड संहिता की धारा 125 का भी उल्लंघन होता है।"

"नए कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट तलाक देने वाले को गुजारा भत्ता देने के लिए पाबंद कर सकता है। मगर इस कानून में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई महिला बदचलन हो और किसी उचित कारण के बिना अपने पति के साथ न रहना चाहती हो तो वह गुजारा की भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती और न्यायालय भी उसे रद्द कर सकती है। याचिका में यह दावा किया गया है कि यह वर्तमान अनुच्छेद 125 का उल्लंघन है और इससे दंड संहिता की धारा 498 का भी उल्लंघन होता है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 15 में सरकार किसी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, नस्ल या जन्म के आधार पर कोई मतभेद नहीं कर सकती लेकिन इस तलाक कानून में सिर्फ मुस्लिम नागरिकों को ही निशाना बनाया गया है। इससे उनके मूलभूत अधिकारों का हनन होता है। यह कानून संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों का भी उल्लंघन है इसलिए इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।"

कश्मीर और एनआरसी पर मुस्लिम संगठनों के रूख की आलोचना

अखबार-ए-मशरिक (27 सितम्बर) ने एक लेख प्रकाशित कर जमीयत-ए-उलेमा और अहले हदीस हिन्द द्वारा एनआरसी और कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार का समर्थन करने की आलोचना की है। इस संदर्भ में तनवीर नामक एक व्यक्ति का एक विशेष लेख प्रकाशित किया गया है। इस लेख में कहा गया है कि "जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद देश भर के मुसलमानों की प्रतिनिधि नहीं है उसी तरह से एक विशेष विचारधारा के समर्थक केन्द्रीय जमीयत अहले हदीस या जमीयत उलेमा को एनआरसी या कश्मीर के मुद्दे पर सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि कैसे कहा जा सकता है? लेखक ने लिखा है कि जहां तक जमीयत उलेमा का सम्बन्ध है वह प्रारम्भ से ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोधी रही है और वह देश को एक राष्ट्र मानती रही है। यही कारण है कि उसने देश के विभाजन का विरोध किया था।"

समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि "देश भर के मुसलमानों को विश्वास में लिए बिना जमीयत उलेमा और अहले हदीस हिन्द के प्रतिनिधि भाजपा के नेताओं से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें अन्य मुस्लिम संगठनों जैसे- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मजलिस मुशावरात और जमाते इस्लामी से भी इस संदर्भ में बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी से दारूल उलूम देवबंद के तत्कालीन प्रबंधक गुलाम मोहम्मद वस्तानवी से समझौते की बातचीत पर किसी को आपत्ति करने की क्या जरूरत थी? उन्हें दारूल उलूम देवबंद की कार्यकारिणी से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने आरएसएस के हिन्दुत्व और भाजपा की राजनीतिक विचारधारा से समझौता करने का प्रयास किया था। अगर यह संगठन पहले ही संघ से समझौता नहीं कर लेते तो गोहत्या के नाम पर कई लोग भीड़ द्वारा मारे जाने से बच जाते।"

समाचारपत्र ने लिखा है कि "मौलाना गुलाम

मोहम्मद वस्तानवी को देवबंद के प्रबंधक मौलाना मरघुब-उर रहमान के निधन के बाद जनवरी 2011 में प्रबंधक नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक अंग्रेजी पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की थी और भारतीय मुसलमानों को सुझाव दिया था कि वे गुजरात के दंगों को भूलकर आगे बढ़ें। उन्होंने यह भी कहा था कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात आगे बढ़ रहा है और वहां मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। उनके इस वक्तव्य पर भारी विवाद खड़ा हुआ था और जब उन्हें हटाने की मांग ने जोर पकड़ा तो उन्होंने नरेन्द्र मोदी को गुजरात के दंगों की जिम्मेवारी से मुक्त करने के बयान का खंडन कर दिया। इस पर काफी चर्चा हुई। अंत में जमीयत उलेमा के दोनों गुट इस मुद्दे पर इक्ट्ठे हो गए और मौलाना वस्तानवी को प्रबंधक के पद से हटा दिया गया।"

"जहां तक एनआरसी का प्रश्न है इसका संबंध असम से है और अवैध रूप से इसे अन्य राज्यों पर लागू करना सरासर गलत है। अजीब बात है कि जमीयत उलेमा और अहले हदीस हिन्द ने कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति का समर्थन किया है। क्या समर्थन करने से पूर्व इन दोनों संगठनों के प्रमुखों ने कश्मीर का दौरा करके वहां के लोगों से उनकी राय जानने का प्रयास किया था? दो महीने से कश्मीरी अपने घरों में बंद हैं। हैरानी की बात है कि जमीयत अहले हदीस हिन्द देश के मुसलमानों की समस्या को नजरअंदाज करके सऊदी अरब में अरामको पर हुए हमलों पर ज्यादा परेशान है।"

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना स्थाई प्रतिनिधि बदला

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (2 अक्टूबर) के अनुसार "संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिधि डॉ. मलीहा लोधी को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह मुनिर अकरम को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने विश्वभर में अपने राजदूतों में भी भारी परिवर्तन किया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने के बाद स्वदेश वापस आने के एक दिन के अंदर ही डॉ. मलीहा लोधी को हटा दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैजल के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ में नियुक्त पाकिस्तान के महानिदेशक खलील अहमद हासमी को जेनेवा हस्तांतरण किया गया है जबकि विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मोहम्मद ऐजाज को हंगरी, के.के. हसन को जॉर्डन और सैयद सज्जाद हैदर को कुवैत में पाकिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है। कनाडा में नियुक्त पाकिस्तान के महावाणिज्य दूत को बांग्लादेश में पाकिस्तान का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी जगह अब्दुल हमीद को महावाणिज्य दूत बनाया गया है। मेजर जनरल मोहम्मद साद खट्टक को श्रीलंका में पाकिस्तानी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है जबकि अबरार अहमद हाशमी को ह्यूस्टन में वाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है।"

समाचारपत्रों के अनुसार "मलीहा लोधी के खिलाफ पिछले दो तीन महीनों से सोशल मीडिया में अभियान चल रहा था। अमेरिका में एक कार्यक्रम के बाद एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें लोधी से उनकी कारगुजारियों के बारे में पूछा जा रहा था। पाकिस्तान के पत्रकार खुर्रम हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में जिस तरह से विश्व स्तर पर मुंह की खानी पड़ी है उसके कारण पाकिस्तान ने मलीहा लोधी को उनके पद से हटाने का निर्णय किया है। एक अन्य पत्रकार सईन सबाही ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया है कि मलीहा लोधी के अमेरिकी सांसदों के साथ सम्बन्ध सही नहीं थे इसलिए प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मलीहा लोधी का उल्लेख करते हुए कहा है कि उन्होंने बहुत गरिमापूर्ण तरीके से विदेश में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है।"

"मलीहा लोधी लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से शिक्षा प्राप्त हैं और वह पाकिस्तान के दो प्रमुख समाचारपत्रों की संपादक रही हैं। उन्होंने जेड.ए. भुट्टो पर पीएचडी की थी। बेनजीर के शासनकाल में 1994 मे उन्हें अमेरिका में पाकिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया था। 1999 से 2002 तक वह पुनः अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत रहीं। 2003 से 2008 तक वह लंदन में पाकिस्तानी उच्चायुक्त थीं। 2015 में उनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिधि के रूप में की गई थी। लोधी का उत्तराधिकारी मुनिर अकरम नामक जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वह परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में छह वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के स्थाई सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। पाकिस्तान की महिला पत्रकार ताहिला सिद्दीकी ने कहा है कि मुनिर अकरम युद्ध को बढ़ावा देने वाले लोगों में हैं। डॉन समाचारपत्र में उनका जो साप्ताहिक कॉलम छपता है उससे नफरत की भावना भड़कती है।"

अमेरिका द्वारा ईरान के अधिकारियों पर प्रतिबंध

अखबार-ए-मशरिक (27 सितम्बर) के अनुसार "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों और उनके परिवारजनों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए उठाया गया है। राष्ट्रपति ने इस प्रतिबंध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ईरान आतंकवाद का समर्थन करता है और उसे संरक्षण प्रदान करता है। ईरान सरकार के दो प्रमुख विभाग पासदारान-ए-इंकलाब और अल कुद्स फोर्स खुलेआम आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेती है। सरकारी वक्तव्य के अनुसार मध्यपूर्व और वहां के देशों में ईरान सरकार की आतंकवाद समर्थक रूख को देखते हुए अमेरिका सरकार ने यह फैसला किया है कि भविष्य में किसी भी ईरानी कर्मचारी या उसके परिवारजनों को अमेरिका में दाखिल होने की अनुमति नहीं होगी।"

"ज्ञातव्य है कि वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के परिवारजन काफी संख्या में अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब अमेरिका सरकार उनके वीजा को रद्द करने पर विचार कर रही है। ईरानी संसद के स्पीकर अली लारीजानी की बेटी एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में मेडिकल की छात्रा हैं जबकि राष्ट्रपति हसन रूहानी के भतीजे अली फिरदौन न्यूयॉर्क में वरिष्ठ पद पर कार्य कर रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति की सहायक ईशा हाशमी के पुत्र भी अमेरिका में डॉक्टरेट की शिक्षा प्राप्त कर रहे है। ईरानी सरकार के पूर्व प्रवक्ता मोहम्मद बाकर नोबख्त के भतीजे हसन नोबख्त भी अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनका एक अन्य भतीजा एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। जबकि तेहरान के सांसद अली नोबख्त की बेटी निलोफर नोबख्त भी एक विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका है।"

अमेरिकी सैनिक अड्डे का स्थानांतरण

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (1 अक्टूबर) के अनुसार "अमेरिका ने कतर से अपना एक महत्वपूर्ण सैनिक अड्डा अपने देश में स्थानांतरित कर लिया है। यह फौजी अड्डा दोहा में था और अब उसे दक्षिण कैरोलिना में स्थानांतरण किया गया है। समाचारपत्र वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार ईरान के साथ तनाव को समक्ष रखते हुए अमेरिका ने यह फैसला किया है। अल अहद नामक यह सैनिक अड्डा पिछले 13 वर्ष से मध्य-पूर्व में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सैनिक अड्डा था। यहां पर युद्ध विमान, बॉम्बर विमान, ड्रोन और अमेरिकी वायु सेना के अन्य अस्त्र-शस्त्र अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों में इस्तेमाल किए जाते थे। इस अड्डे पर 300 विमान रहा करते थे जो कि सीरिया, अफगानिस्तान और खाड़ी देशों में उड़ान भरते थे। इस सैनिक अड्डे को खाली करने से इन उपकरणों को यहां से सात हजार किलोमीटर दूर दक्षिण कैरोलिना में भेजा गया था।"

अखबार की रिपोर्ट के अनुसार "1951 के खाड़ी युद्ध के बाद यह पहला अवसर है जबकि अमेरिकी कमांडर कंट्रोल सेंटर को इस क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित किया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि यह अड्डा ईरान की सीमा से चंद सौ किलोमीटर दूर दोहा में स्थित था। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को गिरा दिया था। इसके अतिरिक्त ईरान के मिसाइल ने सऊदी अरब के तेल शोधक कारखानों और तेल की सप्लाई को अपना निशाना बनाया था। गुप्तचर सूत्रों ने यह दावा किया है कि अमेरिका को यह अड्डा इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि उसे यह भय हो गया है कि ईरान इस अड्डे को अपना निशाना बना सकता है।" ■

फ्रांसीसी स्कूलों में अरबी

सहाफत (1 अक्टूबर) के अनुसार "फ्रांस के स्कूलों में अरबी की शिक्षा को अनिवार्य बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत लिसान नामक नगर से की जा रही है जहां पर अफ्रीकी देशों के लोग रहते हैं जिनकी मातृभाषा अरबी है। पहले चरण के रूप में वहां पर एक भाषा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है जिसमें अरबी के साथ-साथ कुरान की पढ़ाई की भी व्यवस्था की जा रही है। महिला शिक्षिकाएं स्कार्फ का इस्तेमाल करेंगी जिन पर फ्रांस के स्कूलों में प्रतिबंध है। फ्रांसीसी स्कूलों में कोई भी अध्यापक या अध्यापिका ऐसे लिबास नहीं पहन सकती जिससे पता चले कि इसका सम्बन्ध किस धर्म से है। लिसान में अरबी शिक्षा की व्यवस्था करने वाले अब्दुल गनी सिबाता ने बताया कि धार्मिक शिक्षा को हम सरकारी स्कूलों में प्रारम्भ करना नहीं चाहते और इसे हम परिवारजनों पर ही छोड़ना चाह रहे हैं। मगर मस्जिदों में बच्चे धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार क्योंकि अतिवादी जिहादी अरबी की शिक्षा की आड़ में युवा और किशोरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस रूझान पर काबू पाने के लिए फ्रांस सरकार ने यह फैसला किया है कि स्कूलों में अरबी की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए। हालांकि इस फैसले की आलोचना की जा रही है और उसे फ्रांस के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ बताया जा रहा है।" ■

पाकिस्तान से रिश्वत लेने पर पूर्व फ्रेंच प्रधानमंत्री पर मुकदमा

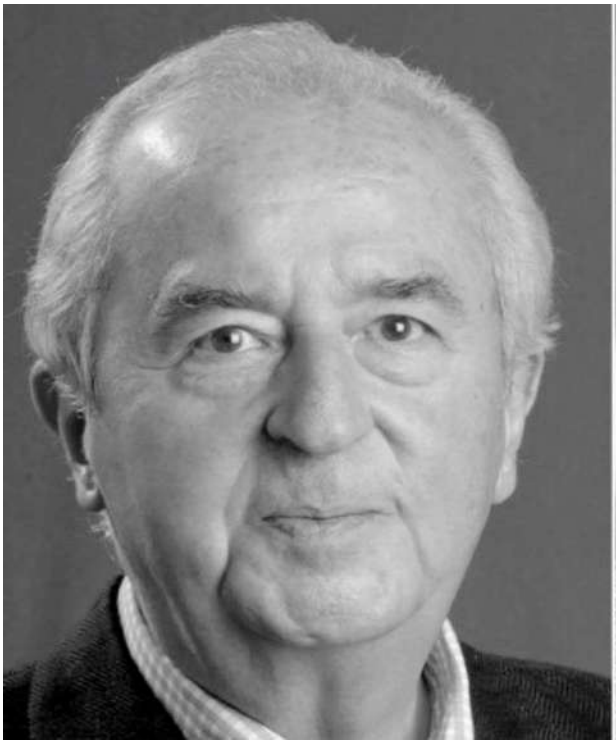

अखबार-ए-मशरिक (3 अक्टूबर) के अनुसार "फ्रांस सरकार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड बलादुर और पूर्व रक्षामंत्री फ्रांसिस लियोटार्ड पर 1990 में पाकिस्तान को पनडुब्बियों के सौदे में रिश्वत खाने के आरोप में मुकदमा दायर किया गया है। सरकारी वकील फ्रांसिसवा मोल्जर ने न्यायालय को बताया कि पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री पर 16 लाख 65 हजार डॉलर की रिश्वत नकद वसूलने का आरोप है। सरकारी वकील के अनुसार ऑगस्टा 90 बी की तीन पनडुब्बियां बेचने का सौदा पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टों के शासनकाल में 1994 में हुआ था। यह सौदा 99 अरब 60 करोड़ डॉलर का था। सरकार का आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने इस सौदे से जो कमीशन प्राप्त की थी उसका इस्तेमाल उन्होंने 1995 में चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया था। उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था मगर वे हार गए थे। बलादुर ने इस आरोप का खंडन किया है।"

"फ्रांस सरकार की जांच के अनुसार फ्रांस ने पाकिस्तान को ऑगस्ता पनडुब्बी बेचने का सौदा किया था और इस सौदे में उन्होंने काफी रिश्वत वसूल की थी। यह जांच 2002 में कराची में हुए एक आत्मघाती हमले में फ्रांस के 11 इंजिनियरों की हत्या के बाद शुरू की गई थी। प्रारम्भ में इस हमले में अलकायदा का हाथ बताया गया था। मगर बाद में यह आरोप भी लगाया गया था कि यह धमाका कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों ने करवाया था क्योंकि उन्हें रिश्वत की आठ करोड़ 73 लाख डॉलर की धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी। फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार जब राष्ट्रपति जैक शिराक 1995 में राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने पाकिस्तानी दलाल पर दबाव डालकर और अधिक रिश्वत की धनराशि की किस्त एडवर्ड को अदा करने से रूकवा दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ मुकदमें की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में होगी। यह भी आरोप है कि फ्रांस द्वारा सऊदी अरब को जलयान बेचने के सौदे में भी फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री ने रिश्वत वसूली थी।"

तुर्की द्वारा पाकिस्तान को युद्धपोत

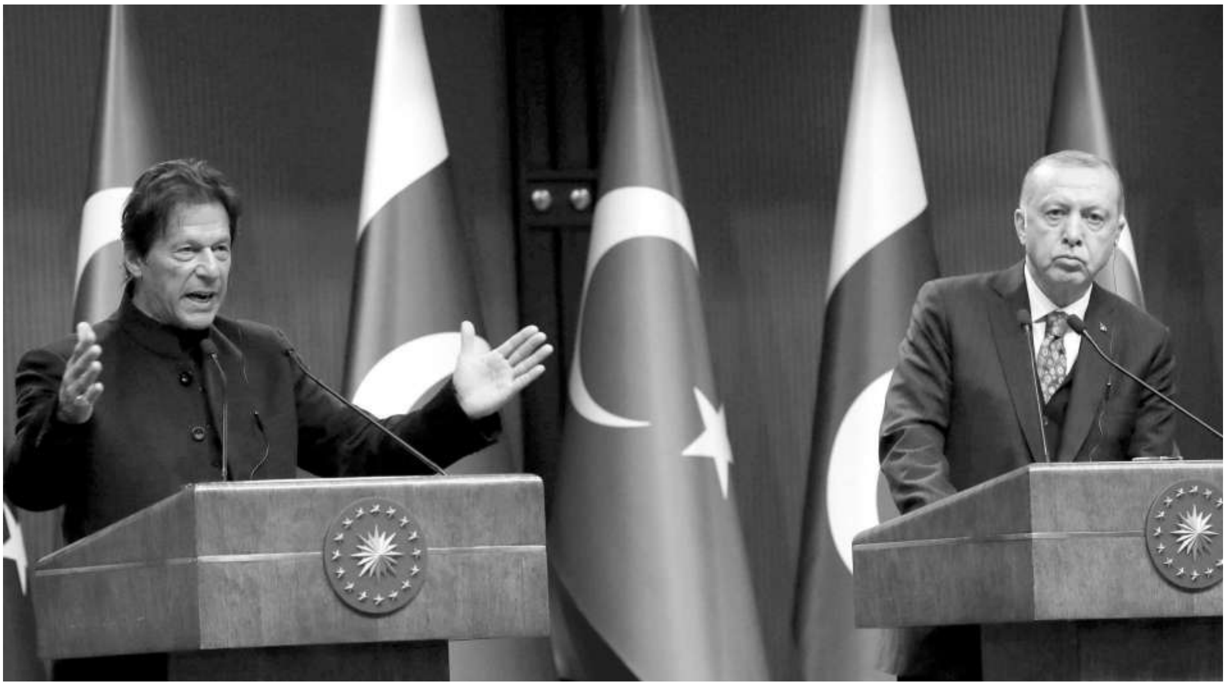

इंकलाब (2 अक्टूबर) के अनुसार तुर्की ने यह घोषणा की है कि वह पाकिस्तान को चार जंगी जलपोत उपलब्ध कराएगा। इनमें से दो जलपोत पाकिस्तान में और दो तुर्की में बनाए जाएंगे। तुर्की पाकिस्तान को युद्धपोत बनाने की तकनीक भी उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि हमें कश्मीरियों की मुसीबतों का समाधान करना चाहिए। कश्मीर और फिलिस्तीन के हालात एक जैसे हैं। 80 लाख से अधिक कश्मीरी सरकार ने जबरन नजरबंद कर रखे हैं। मैं अंतिम क्षणों तक कश्मीरियों की हक में अपनी आवाज उठाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा भाईचारा है और दोनों के बीच बहुत नजदीकी सम्बन्ध हैं।

सऊदी अरब के दरवाजे पर्यटकों के लिए खुले

इंकलाब (28 सितम्बर) के अनुसार "सऊदी अरब की बढ़ती हुई आर्थिक बदहाली पर काबू पाने के लिए सऊदी सरकार ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। इस लक्ष्य से सऊदी अरब के दरवाजे विश्वभर के पर्यटकों के लिए खोले जा रहे हैं। इससे पूर्व किसी भी गैर-मुस्लिम को सऊदी अरब का वीजा नहीं दिया जाता था। सिर्फ मुसलमानों को ही हज और उमरा के लिए वीजा जारी करने की परम्परा थी या वीजा ऐसे लोगों को दिया जाता था जिनके रिश्तेदार सऊदी अरब में रहते हों। अब ताजा सरकारी ऐलान के अनुसार किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी व्यक्ति पर्यटन के लिए सऊदी अरब आ सकेगा।"

"इसके साथ ही सऊदी सरकार ने विदेशी महिलाओं के लिए निर्धारित नियमों को भी उदार बनाने का फैसला किया है। अब सऊदी अरब आने वाली महिलाओं के लिए अबाया पहनना जरूरी नहीं होगा। पर्यटन विभाग की प्रमुख अहमद अल खतीब के अनुसार नई पर्यटन नीति के कारण सऊदी अरब की आय में सात प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि विश्व विरासत के पांच प्राचीन ऐतिहासिक स्थान सऊदी अरब में मौजूद हैं जिनको विदेशी पर्यटक देख सकते हैं। विदेशियों को 90 दिन का पर्यटन वीजा जारी किया जाएगा और इसे ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है किंतु मक्का और मदीना की परिधि में किसी गैर मुस्लिम को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। ज्ञातव्य है कि सऊदी अरब को तेल से होने वाले आय में निरंतर कमी आ रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार दस करोड़ विदेशी पर्यटकों के सऊदी अरब की यात्रा करने की सम्भावना है। इससे दस लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।''

इजरायल को मिटाने की धमकी

इंकलाब (2 अक्टूबर) के अनुसार "ईरान की मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि हम इजरायल का नामोनिशान दुनिया के मानचित्र से मिटा देंगे। उन्होंने कहा कि इजरायल का जन्म अवैध रूप से हुआ है और इस्लामी इंकलाब के चार दशक के दौरान ईरान ने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह इजरायल का नामोनिशान मिटा सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इजरायल का प्रारम्भ से ही कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसकी न तो कोई अपनी भूमि है और न ही कोई जनसंख्या। इजरायल अंतर्द्वंद्व का शिकार है और उसके कारण इस्लामी जगत में मतभेद उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी क्रांति के प्रथम चरण में ही ईरान ने इसे समाप्त करने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। मगर हम अब इसे दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते हैं।

"इससे पूर्व भी ईरान कई बार इजरायल के खिलाफ बयान दे चुका है। मगर इसका यह बयान उस वक्त सामने आया है जब सऊदी अरब के साथ उसके सम्बन्ध बहुत तनावपूर्ण स्थिति में है और दोनों के सामने युद्ध की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं। जनरल सलामी ने इससे पूर्व अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर उसने ईरान को युद्ध में धकेलने की कोशिश की तो इसके भयंकर परिणाम होंगे और अमेरिका का नामोनिशान मिट जाएगा। सऊदी अरब के तेल शोधक कारखानों पर हुए हमलों के बाद ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव बहुत बढ़ गए हैं। सऊदी अरब और अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि इस हमले में ईरान का हाथ है। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने यह स्पष्ट किया है कि अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच युद्ध होता है तो इससे विश्व में तबाही आएगी।"

केरल की ईसाई लड़की के इस्लाम धर्म स्वीकारने पर विवाद

इंकलाब (2 अक्टूबर) के अनुसार "भारत से संयुक्त अरब अमीरात आने वाली ईसाई लड़की सियानी बेन्नी ने कहा है कि वह किसी आतंकवादी गिरोह में भाग लेने के लिए भारत से संयुक्त अरब अमीरात नहीं आई है बल्कि अपने प्यार के लिए आई है। ज्ञातव्य है कि 19 वर्षीय इस ईसाई लड़की ने अबू धाबी जाकर इस्लाम कुबूल कर लिया है और अपना नया नाम आइशा रखा है। इससे पूर्व इस ईसाई लड़की के अभिभावकों ने दिल्ली में उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और यह दावा किया था कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। इसके कॉलेज सहयोगियों ने एक भारतीय न्यायालय में एक याचिका दी थी जिसमें कहा था कि दुनिया भर में तबाही मचाने वाली शक्तियों ने एक भारतीय नागरिक का अपहरण किया है। दूसरी ओर इस लड़की ने गल्फ न्यूज से बात करते हुए बताया कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया है। उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से भारत आई हूं। मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं लाया। मैं भारत की व्यस्क नागरिक हूं और अपना फैसला करने का मुझे पूरा हक है।"

समाचारपत्रों के अनुसार "यह ईसाई लड़की 18 सितम्बर को अपने कॉलेज की कक्षाओं में मौजूद थी और उसके बाद एक भारतीय से विवाह करने के लक्ष्य से वह संयुक्त अरब अमीरात चली गई। उसने दावा किया कि नौ महीने पहले सोशल मीडिया पर इस भारतीय से उसकी दोस्ती हुई थी। इसके माता-पिता केरल के रहने वाले हैं। इसके माता-पिता ने कहा था कि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि इनकी बेटी को गुमराह करके उसका अपहरण किया गया है। इस लड़की ने यह दावा किया है कि उसने 24 सितम्बर को अपनी इच्छा से संयुक्त अरब अमीरात में इस्लाम कुबूल किया था। इस लड़की ने भारत के गृहमंत्री, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक पत्र में कहा है कि मैं अब मुसलमान हूं और मैं इसी धर्म में रहूंगी। हमारा संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। मुझे भारतीय दूतावास ने भी बुलाया था और मैंने कहा है कि मैं वापस भारत नहीं जाऊंगी। उसने आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ मीडिया में झूठी खबरें प्रसारित की जा रही हैं।" ■

जमाल खशोग्गी की हत्या में नया मोड़

सियासत (27 सितम्बर) के अनुसार "सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने यह कुबूल किया है कि अरबी मूल के पत्रकार जमाल खशोग्गी की हत्या उनकी निगरानी में हुई थी। उन्होंने हाल ही में एक अमेरिकी टीवी चैनल से इंटरव्यू देते हुए यह बात कही। हैरानी की बात यह है कि यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली का अधिवेशन चल रहा था। तुर्की के राष्ट्रपति इरदोगन ने कहा है कि जमाल खशोग्गी के हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनके खिलाफ तुर्की कड़ी कार्रवाई करने के लिए वचनबद्ध है।"

"ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष सऊदी सरकार के सबसे बड़े आलोचक पत्रकार जमाल खशोग्गी को इस्तांबुल स्थित सऊदी दूतावास में वीजा की अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर तलब किया गया था मगर दूतावास में दाखिल होने के बाद वे वहां से जिंदा नहीं लौट पाए और न ही उनका शव ही बरामद हुआ। जबकि दूतावास के बाहर इस पत्रकार की मंगेतर उसकी वापसी का इंतजार करती रही। सऊदी अरब के शासक इस हत्या में शाही खानदान के हाथ होने से बराबर इनकार करते रहे हैं। हालांकि अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी सीआईए ने यह दावा किया था कि इस पत्रकार को युवराज मोहम्मद बिन सलमान के आदेश पर मारा गया था।"

ईरान का अलकायदा से सम्बन्ध

अखबार-ए-मशरिक (27 सितम्बर) के अनुसार "सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल-जुबेर ने आरोप लगाया है कि ईरान के अलकायदा से घनिष्ठ संबंध हैं। यही कारण है कि अलकायदा ने आजतक ईरान में किसी भी नगर को अपना निशाना नहीं बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान द्वारा सारे अरब जगत में आतंकवाद की ज्वाला को भड़काया जा रहा है। सऊदी अरब ने अल-जुबैर के स्थान पर जो बम धमाके हुए हैं उनमें भी ईरान का ही हाथ पाया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान और अलकायदा के शुरू से ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं। ओसामा बिन लादेन के बेटे को ईरान ने शरण दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने अरब के तेल शोधक कारखानों पर हमला करवाया है और इन हमलों में ईरानी अस्त्र-शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया है।"

पश्चिम एशिया

ईरान द्वारा चीन को तेल की सप्लाई

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (1 अक्टूबर) के अनुसार "ईरान के तेल मंत्री बिजन नामदार जांगेनेह ने अपने देश के तेल विभाग को चेतावनी दी है कि वह किसी संभावित हवाई अड्डे के बारे में सतर्क रहे। क्योंकि उस पर साइबर हमला किया जा सकता है। सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमले के बाद ईरान को यह खतरा हो गया है कि उसके तेल उत्पादक संयंत्रों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में सऊदी अरब की तेल उत्पादक कम्पनी अरामको के संयंत्रों पर जो मिसाइल का हमला हुआ है उसके पीछे अमेरिका ईरान का हाथ बताता है जबकि यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों ने यह दावा किया था कि यह हमला उन्होंने करवाया है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह घोषणा की थी कि उनका देश तेहरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।"

ईरान के संचार मंत्री मोहम्मद जवाद आदरी ने यह स्वीकार किया था कि "ईरान पर साइबर हमले हो सकते हैं और ये हमले स्टेटिक नेट द्वारा किए जा सकते हैं। यह प्रणाली इजरायल और अमेरिका ने विकसित की है। इस वायरस द्वारा ईरान के तेल उत्पादक संयंत्रों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह किया जा सकता है। ईरान के विदेशी मंत्री जवाद जरीफ ने इस समाचार का खंडन किया है कि ईरान चीन को तेल की सप्लाई करने का प्रयास कर रहा है। मगर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ईरान चीन के साथ स्ट्रैटेजिक समझौते पर विचार कर रहा है। ब्रिटिश विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान और चीन के बीच एक गुप्त समझौता हो चुका है जिसके तहत ईरान चीन को सस्ते दामों पर पेट्रोल सप्लाई करेगा।" ■

सऊदी अरब हथियारों का सबसे बड़ा खरीददार

सहाफत (1 अक्टूबर) के अनुसार "स्वीडिश संस्थान ने यह दावा किया है कि विश्व में सबसे ज्यादा हथियार इन दिनों सऊदी अरब खरीद रहा है। हालांकि इस दौर में चीन और भारत भी शामिल हैं। स्वीडेन की संस्था थिंक सुपरी की रिपोर्ट के अनुसार आस्ट्रेलिया 2017 में हथियार खरीदने में चौथे नम्बर पर था। मगर 2018 में यह दूसरा देश बन गया और उसने भारी मात्रा में युद्ध विमान और मिसाइल खरीदे हैं। आस्ट्रेलिया सरकार के सूत्रों के अनुसार अतिवादी हमलों का सामना करने के लिए इन हथियारों का खरीदना जरूरी है। इस वर्ष सऊदी अरब ने विश्व के अन्य सभी देशों को हथियारों के खरीद के मामले में सबसे पीछे छोड़ दिया है। यमन में हूती विद्रोहियों की बढ़ती हुई गतिविधियों का सामना करने के लिए सऊदी अरब से अस्त्र -शस्त्रों के खरीद के मामले में सबसे आगे है। 2017 में चीन छठे नम्बर पर था मगर अब वह तीसरे नम्बर पर आ गया है। भारत दूसरे नम्बर से चौथे नम्बर पर आ गया है। हथियार सप्लाई करने में अमेरिका सबसे उपर है। जबकि तीसरे नम्बर पर फ्रांस और जर्मनी हैं।"

सियासत (30 सितम्बर) के अनुसार "ब्रिटेन ने यमन में लड़ने वाली सऊदी फौज के लिए 6.3 बिलियन के अस्त्र-शस्त्र बेचने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी एक ब्रिटिश न्यायालय के इस फैसले के बावजूद दी गई है जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि जिन क्षेत्रों में तनाव है वहां पर अस्त्र-शस्त्र न बेचे जाएं। 'डेली मिरर' के एक समाचार के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सऊदी सरकार को अगले महीने ब्रिटेन में होने वाले अस्त्र-शस्त्र की प्रदर्शनी में भाग लेने की दावत दी है। समाचारपत्र ने लिखा है कि ब्रिटेन चालू वर्ष में सऊदी अरब को 5.3 बिलियन पाउंड के अस्त्र-शस्त्र सप्लाई कर चुका है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, बहरीन और कुवैत को भी अस्त्र-शस्त्र बेच रहा है।" ■

हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी सैनिकों की गिरफ्तारी का दावा

अखबार-ए-मशरिक (1 अक्टूबर) के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के तीन ब्रिगेड के फौजियों को अपना बंदी बनाया है और इन बंदियों ने विद्रोहियों के सामने आत्मसमर्पण किया है। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता कर्नल अह्या ने यह दावा किया है कि सऊदी अरब के सीमावर्ती क्षेत्र नजरान में सऊदी सेना और विद्रोहियों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें काफी लोग मारे गए और इस युद्ध के बाद सऊदी अरब के फौजियों के तीन ब्रिगेड ने विद्रोहियों के सामने आत्मसमर्पण किया है। दूसरी ओर सऊदी अरब ने इस खबर का खंडन किया है। हालांकि सऊदी अरब ने सरकारी तौर पर इस दावे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। परंतु उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार विद्रोहियों के दावे की पुष्टि नहीं होती। विद्रोहियों ने यह दावा किया था कि वे बंधक बनाए गए सैनिकों को टेलीविजन पर पेश करेंगे। मगर इस टेलीविजन कार्यक्रम में जो पेश किया गया उसमें विद्रोहियों को टैंकों पर हमला करते हुए दिखाया गया है और उसके बाद कुछ जले हुए टैंकों को प्रदर्शित किया गया है। मगर बंदी बनाए गए किसी सैनिक को वीडियो में पेश नहीं किया गया। इस हमले के बारे में अभी तक सऊदी सरकार पूरी तरह से खामोश है। विदेशी सूत्रों का कहना है कि हूती विद्रोही अपनी कामयाबियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं।"

इंकलाब (30 सितम्बर) ने "हूती विद्रोहियों द्वारा 500 सऊदी फौजियों को मारे जाने के समाचार को प्रथम समाचार के रूप में छापा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सऊदी अरब के जो सैनिक अधिकारी पकड़े गए हैं उनमें अधिकांश उच्चाधिकारी हैं और उनके साथ-साथ सऊदी अरब की बख्तरबंद गाड़ियों को भी भारी मात्रा में अपने कब्जे में लिया गया है। यमन के हूती विद्रोहियों का दावा है कि सऊदी फौजियों को हवाई हमले से सुरक्षित करने के लिए उन्हें अज्ञात स्थानों पर रखा जा रहा है।"

अखबार-ए-मशरिक (2 अक्टूबर) के अनुसार "अरब इत्तेहाद ने यह दावा किया है कि हूतियों ने अरब सेना पर जो हमले का फूटेज जारी किए हैं वे फर्जी हैं। एकता सेना के प्रवक्ता कर्नल सर्की अल मलिकी ने पत्रकारों को बताया कि अंतराष्ट्रीय मीडिया ने जो समाचार प्रसारित किए हैं वे फर्जी हैं। इससे पहले भी इस तरह के फर्जी दावे हूती विद्रोही कर चुके हैं।"

इस्लामी टीवी चैनल

सियासत (27 सितम्बर) के अनुसार "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह घोषणा की है कि पश्चिमी देशों द्वारा इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार का जो अभियान चलाया जाता है उसके निराकरण के लिए अंग्रेजी भाषा में एक चैनल शुरू करने का फैसला किया गया है। यह चैनल पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया के सहयोग से चलाया जाएगा। तीनो देश मिलकर एक ऐसा अंग्रेजी चैनल शुरू करेंगे जो इस्लाम फोबिया के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण करेगा और इस्लाम की असलियत को विश्व के सामने प्रस्तुत करेगा। इमरान ने कहा कि पश्चिमी देशों में इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार का सिलसिला जोरों से जारी है जिसके कारण विश्व में मुसलमानों के खिलाफ वातावरण बन रहा है। जरूरी है कि हम इस्लाम और उसके इतिहास के बारे में सच्चाई विश्व के सामने पेश करें।"

भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने पर टीवी चैनल बंद

सहाफत (5 सितम्बर) के अनुसार "इराक में शिया और सुन्नी धार्मिक संस्थाओं में फैले हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने पर अमेरिकी सहायता से चलने वाले एक टेलीविजन चैनल 'अल हर्रा' को बंद कर दिया है। इस टेलीविजन चैनल ने भ्रष्टाचार की खबर प्रसारित की थी और यह आरोप लगाया था कि इराक में मुसलमानों के शिया और सुन्नी दोनों सम्प्रदायों से संबंध रखनेवाले धार्मिक संस्थानों के प्रमुख भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस रिपोर्ट के प्रसारित होने पर बगदाद में भारी प्रदर्शन हुए थे और सरकार से यह मांग की गई थी कि इस टीवी चैनल को बंद कर दिया जाए। बाद में इराक सरकार के जनसंचार विभाग ने एक आदेश जारी करके तीन महीने के लिए इस टीवी चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। टीवी चैनल ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है और कहा है कि उसने निष्पक्ष रिपोर्ट पेश की थी और उसमें सम्बन्धित अधिकारियों को भी अपना पक्ष पेश करने का मौका दिया था।"

इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत

इंकलाब (4 अक्टूबर) के अनुसार "इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 77 तक पहुंच गई है। जबकि जख्मी लोगों की संख्या सैकड़ों बताई जाती है। बढ़ती हुई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला अब सारे देश में फैल गया है। बगदाद, नासरिया और नजफ में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा सैनिकों के बीच झड़पों का सिलसिला जारी है। प्रदर्शनकारियों ने नजफ, बगदाद और अनेक नगरों में सरकारी कार्यालयों को आग लगा दी है। प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों को भी सैनिक गिरफ्तार कर रहे हैं। ईरान ने घोषणा की है कि इराक में बढ़ती हुई अशांति के कारण उसने इराक के साथ लगने वाली अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। इराक के राष्ट्रपति बरहम सालिह ने प्रदर्शनों में हुई हिंसा की निंदा की है।"

उर्दू के प्रचार के लिए दोगुना हुआ बजट

अखबार-ए-मशरिक (2 अक्टूबर) के अनुसार "भारत सरकार ने राष्ट्रीय उर्दू संवर्द्धन परिषद के बजट को दोगुना कर दिया है। यह निर्णय मानव संसाधन मंत्रालय की कार्यसमिति में किया गया है जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की। उन्होंने उर्दू भाषा के प्रचार व प्रसार के लिए एक नई उर्दू वेबसाइट का उदघाटन भी किया। उन्होंने कहा कि 2013 में भारत सरकार ने उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद को 45 करोड़ का अनुदान दिया था जिसे 2019 में बढ़ाकर 84 करोड़ कर दिया गया है। इस तरह से इस परिषद के बजट में भारत सरकार ने 45 प्रतिशत की वृद्धि की है। उन्होंने परिषद के निदेशक डॉ. अकील अहमद को परामर्श दिया है कि वे इस बात को जनता तक पहुचाएं। कार्यसमिति की बैठक में कश्मीर के छात्रों को कागज से विभिन्न वस्तुएं बनाने के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को जारी रखने का फैसला किया गया। इस कार्यक्रम पर हर वर्ष 15 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। ज्ञातव्य है कि 2004 में इस परिषद का वार्षिक बजट दस करोड़ हुआ करता था।"

उर्दू को विदेशी भाषा घोषित करने पर विवाद

इंकलाब (30 सितम्बर) के अनुसार उर्दू भाषा की स्थिति को लेकर एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है क्योंकि पंजाब विश्वविद्यालय ने उर्दू को विदेशी भाषाओं की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इस फैसले की राष्ट्रीय उर्दू संवर्द्धन परिषद के अध्यक्ष ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं है बल्कि शुद्ध भारतीय भाषा है। हाल ही में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उर्दू संवर्द्धन परिषद की बैठक में उसे भारतीय संस्कृति का अंग बताते हुए इस बात पर जोर दिया है कि भारत सरकार उर्दू के संवर्द्धन के लिए खुले हाथों से सहायता देगी। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रमुख इंद्रेश कुमार ने भी उर्दू को भारतीय भाषा बताया है और कहा है कि उर्दू भारतीय सभ्यता का ही अंग है। प्रो. अकील अहमद ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि वह पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा उर्दू के संदर्भ में पैदा किए गए विवाद में हस्तक्षेप करे।"

इंकलाब ने कहा है कि "पंजाब विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग ने भी विश्वविद्यालय के इस फैसले की आलोचना की है उर्दू विदेशी भाषा नहीं बल्कि वह हिन्दी और पंजाबी की तरह ही देशी भाषा है। ज्ञातव्य है कि पंजाब विश्वविद्यालय ने हाल ही में उर्दू को रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन, चीनी और तिब्बती भाषाओं के साथ उर्दू विभाग को भी विदेशी भाषाओं का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव किया है। उर्दू विभाग के समन्वयक अली अब्बास ने पंजाबी विश्वविद्यालय के डीन को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि उर्दू भाषा का जन्म तेरहवीं शताब्दी में भारत में हुआ था और अमीर खुसरो ने इसे भारतीय संस्कृति का अंग बनाया।"

उन्होंने कहा है कि "उर्दू को विदेशी भाषा करार देने के बारे में कुछ क्षेत्रों द्वारा जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। उर्दू, पंजाबी और हिन्दी भारत की तीन महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जिन्हें समय-समय पर सरकारी भाषा का दर्जा प्राप्त रहा है। कुमार विश्वास ने ट्वीट करके पंजाब विश्वविद्यालय के इस फैसले की आलोचना की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने उर्दू को विदेशी भाषाओं में शामिल करने पर हैरानी प्रकट की और कहा है कि वे इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के उपकुलपति से बातचीत करेंगे और मुझे यह आशा है कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे।" ■

दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा पचास लाख रुपये का वितरण

हमारा समाज (1 अक्टूबर) के अनुसार "दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 20 लोगों को 50 लाख रुपये बांटने की घोषणा की है। इस घोषणा में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से तीन वर्ष पूर्व गायब हुए नजीब की मां भी शामिल हैं जिन्हें पांच लाख रुपये की सहायता दी गई है। जबकि नजीब के भाई हसीब को इंजिनियर की नौकरी प्रदान की गई है। बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह और अन्य सदस्यों ने सहायता राशि के चेक बांटे। चेक प्राप्त करने वालों में छात्र, छात्राएं एवं रोगी भी शामिल हैं। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि यह धनराशि दिल्ली वक्फ बोर्ड की है जो संपत्तियों के किराए से इक्ट्ठी हुई हैं। क्योंकि हमने किराए बढ़ा दिए हैं इसलिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने वक्फ बोर्ड का कार्यभार सम्भाला था तो उस समय बोर्ड की आय सिर्फ साढ़े तीन लाख थी। इस अवसर पर तीस लोगों को सहायता के चेक बांटे गए। इन चेकों द्वारा छात्रों के फीस की अदायगी की गई है। ज्ञातव्य है कि नजीब नामक छात्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हॉस्टल से 15 अक्टूबर 2016 को गायब हुआ था और अब तक वह वापस नहीं आया। सीबीआई भी उसका सुराग लगाने में विफल रही है। नजीब की मां फातिमा नसीफ ने कहा कि नजीब की तलाश पर वह अब तक 15 लाख रुपये खर्च कर चुकी हैं।"

विश्लेषण हेतु उर्दू समाचार-पत्रों की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार-ए-मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

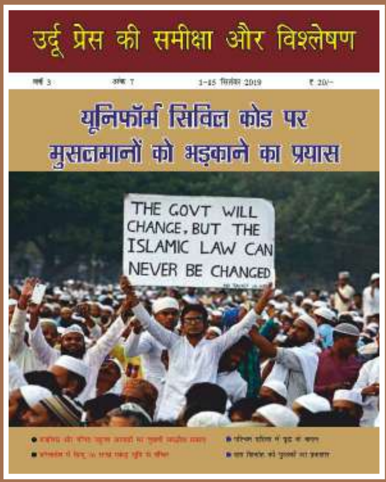

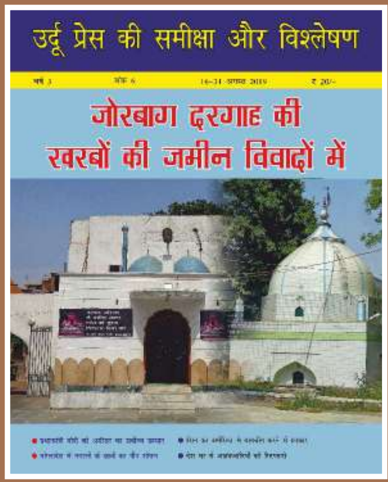

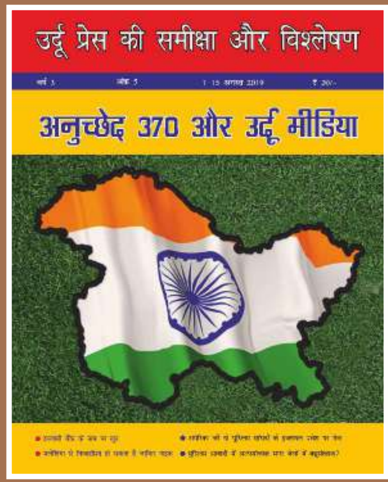

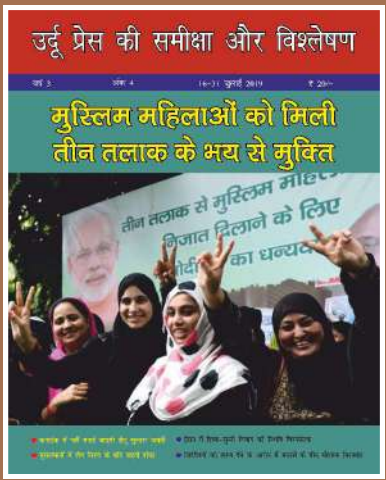

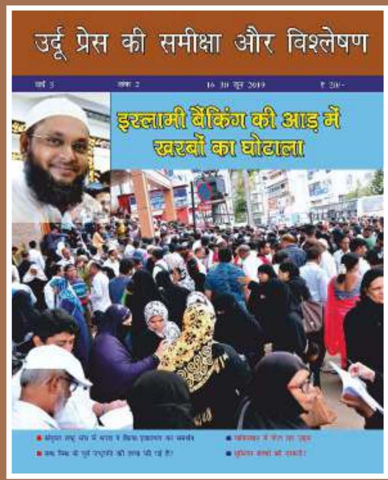

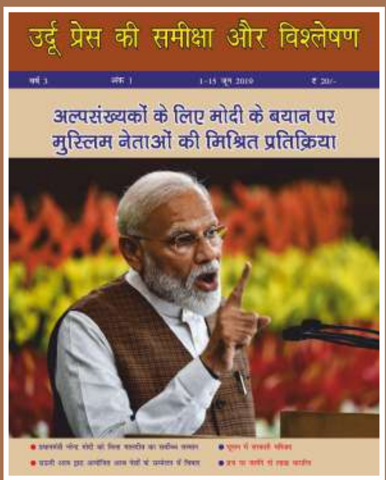

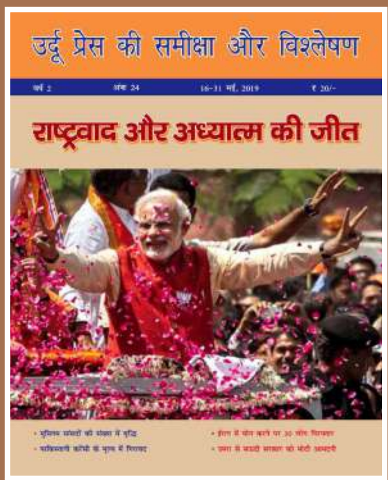

ipf INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेलः info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com, वेबसाइटः www.ipf.org.in